

विषय सूची

| विवरण | संदर्भ | |
|--|--------|-------|
| | कंडिका | पृष्ठ |
| प्राक्कथन | — | v |
| कार्यपालिक सारांश | — | vii |
| प्रथम अध्याय— राज्य शासन के वित्त | | |
| छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य | 1.1 | 1 |
| 2016-17 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश | 1.1.1 | 1 |
| राजकोषीय स्थिति की समीक्षा | 1.1.2 | 3 |
| बजट अनुभाग तथा वास्तविकतायें | 1.1.3 | 5 |
| जेंडर बजट | 1.1.4 | 6 |
| राज्य के संसाधन | 1.2 | 7 |
| राज्य के वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन | 1.2.1 | 7 |
| राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को राशि हस्तांतरण | 1.2.2 | 8 |
| राजस्व प्राप्तियाँ | 1.3 | 8 |
| राज्य के स्वयं के संसाधन | 1.3.1 | 9 |
| कर के संग्रहण की लागत | 1.3.2 | 11 |
| भारत सरकार से सहायता अनुदान | 1.3.3 | 11 |
| केंद्रीय कर हस्तांतरण | 1.3.4 | 12 |
| त्यक्त राजस्व | 1.3.5 | 12 |
| पूँजीगत प्राप्तियाँ | 1.4 | 13 |
| ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ | 1.4.1 | 14 |
| आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ | 1.4.2 | 14 |
| भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम | 1.4.3 | 15 |
| लोक लेखे की शेष राशि | 1.5 | 15 |
| संसाधनों का उपयोग | 1.6 | 16 |
| पूँजीगत व्यय | 1.6.1 | 16 |
| राजस्व व्यय | 1.6.2 | 16 |
| प्रतिबद्ध व्यय | 1.6.3 | 17 |
| व्यय की गुणवत्ता | 1.7 | 19 |
| लोक व्यय की पर्याप्तता | 1.7.1 | 19 |
| व्यय के उपयोग की कुशलता | 1.7.2 | 20 |
| चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय | 1.7.3 | 20 |
| शासकीय व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण | 1.8 | 21 |
| सिंचाई परियोजनाओं का वित्तीय परिणाम | 1.8.1 | 21 |
| अपूर्ण परियोजनाएं | 1.8.2 | 21 |
| निवेश एवं प्रतिफल | 1.8.3 | 22 |
| राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम | 1.8.4 | 23 |
| रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश | 1.8.5 | 24 |
| परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व | 1.9 | 26 |
| परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का वृद्धि तथा घटक | 1.9.1 | 26 |
| राजकोषीय दायित्व | 1.9.2 | 26 |
| आरक्षित निधि के अंतर्गत लेनदेन | 1.9.3 | 27 |
| राज्य आपदा राहत निधि | 1.9.4 | 28 |
| संचित निक्षेप निधि | 1.9.5 | 28 |
| अधोसंरचना विकास निधि | 1.9.6 | 29 |

| विवरण | संदर्भ | |
|---|--------|-------|
| | कंडिका | पृष्ठ |
| प्रत्याभूति की स्थिति-आकस्मिक दायित्व | 1.9.7 | 29 |
| ऋण प्रबंधन | 1.10 | 30 |
| ऋण प्रारूप | 1.10.1 | 30 |
| ऋण धारणीयता | 1.10.2 | 31 |
| द्वितीय अध्याय- वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण | | |
| विनियोग लेखे का सारांश | 2.1 | 33 |
| वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन | 2.2 | 34 |
| पिछले वर्षों (2000-01 से 2016-17) से सम्बंधित प्रावधानों में अतिरेक व्यय का नियमितीकरण की आवश्यकता है | 2.2.1 | 34 |
| सतत अतिरेक व्यय | 2.2.2 | 34 |
| योजनाओं के तहत अतिरेक व्यय | 2.2.3 | 35 |
| बचत | 2.2.4 | 35 |
| सतत बचत | 2.2.5 | 36 |
| उप शीर्षों के तहत सम्पूर्ण बजट प्रावधान का उपयोग ही नहीं किया गया | 2.2.6 | 36 |
| अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान | 2.2.7 | 36 |
| उप शीर्षों/योजनाओं के अन्तर्गत अनुपूरक प्रावधान | 2.2.8 | 36 |
| निधियों का अतिरेक/आवश्यक/अप्रयोजित पुनर्विनियोजन | 2.2.9 | 37 |
| वास्तविक बचत से अधिक समर्पण | 2.2.10 | 37 |
| पूर्वानुमानित बचत का समर्पण नहीं किया जाना | 2.2.11 | 37 |
| व्यय का अतिवेग | 2.2.12 | 38 |
| आकस्मिकता निधि से अग्रिम | 2.3 | 38 |
| तृतीय अध्याय- वित्तीय प्रतिवेदन | | |
| लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र | 3.1 | 39 |
| वित्त आयोग अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र | 3.1.2 | 39' |
| सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब | 3.2 | 40 |
| सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों द्वारा लाभांश का घोषित न होना | 3.2.1 | 41 |
| संक्षिप्त आकस्मिक देयक एवं विस्तृत आकस्मिक देयक | 3.3 | 41 |
| संक्षिप्त आकस्मिक देयको से आहरित योजना व्यय | 3.3.1 | 42 |
| संक्षिप्त आकस्मिक देयकों पर त्रुटिपूर्ण लेखन | 3.3.2 | 42 |
| समर्थक प्रमाणकों के बिना विस्तृत आकस्मिक देयक तैयार करना | 3.3.3 | 43 |
| विस्तृत आकस्मिक देयको के विलम्ब से समर्पण | 3.3.4 | 43 |
| संक्षिप्त/विस्तृत आकस्मिक देयक पंजी का संधारण न होना | 3.3.5 | 44 |
| हानि तथा गबन के प्रकरणों का प्रतिवेदन | 3.4 | 44 |
| राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का वर्गीकरण | 3.5 | 45 |
| उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष का प्रारंभ किया जाना | 3.6 | 45 |
| लघु शीर्ष- 800 में समायोजन | 3.7 | 46 |
| स्थानीय लेखापरीक्षा से प्राप्त निष्कर्ष | 3.8 | 46 |
| शासकीय खाते से बाहर धनराशि रखा जाना | 3.8.1 | 46 |
| अस्थायी अग्रिमों का असमायोजन | 3.8.2 | 47 |
| रोकड़ बही का अनियमित संधारण | 3.8.3 | 47 |
| भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर | 3.9 | 48 |
| श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग | 3.9.1 | 48 |
| प्राप्ति एवं व्यय का मिलान | 3.10 | 49 |
| राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का विभाजन | 3.11 | 49 |
| राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन | 3.12 | 49 |
| राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव | 3.13 | 49 |

| परिशिष्ट | विवरण | पृष्ठ |
|--------------------|--|-------|
| परिशिष्ट 1.1 भाग अ | छत्तीसगढ़ राज्य की रूपरेखा | 53 |
| परिशिष्ट 1.1 भाग ब | शासकीय लेखों की संरचना एवं प्रपत्र | 54 |
| परिशिष्ट 1.1 भाग स | वित्त लेखों को दो भागों में विभाजित किया गया है। | 54 |
| परिशिष्ट 1.2 | वित्तीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी जाने वाली विधि राजकोषीय स्थिति के आंकलन हेतु अपनाई गई कार्यविधि | 55 |
| परिशिष्ट 1.3 भाग अ | वर्ष 2016-17 के प्राप्ति एवं भुगतान का सार | 57 |
| परिशिष्ट 1.3 भाग ब | छत्तीसगढ़ शासन की सारांशिकृत वित्तीय स्थिति | 60 |
| परिशिष्ट 1.4 | वर्ष 2016-17 के लिये बजट प्रावधान | 61 |
| परिशिष्ट 1.5 | वर्ष 2016-17 के दौरान महिलाओं के लिये बजट प्रावधान एवं व्यय | 63 |
| परिशिष्ट 1.6 | राज्य सरकार के वित्तीय समय श्रृंखला डाटा विश्लेषण | 64 |
| परिशिष्ट 1.7 | दंतेश्वरी मैय्या सहकारी शक्कर कारखाना के ऋण और ब्याज के साथ किश्त की वसूली के विवरण | 67 |
| परिशिष्ट 1.8 | रिजर्व बैंक में जमा कुल विसंगतियों का सारांश | 68 |
| परिशिष्ट 1.9 | अधोसंरचना विकास उपकर, अधोसंरचना विकास निधि एवं आरक्षित निधि में स्थानांतरण का वर्षवार संग्रह | 69 |
| परिशिष्ट 1.10 | अधोसंरचना विकास निधि की गैर उपयोगिता | 69 |
| परिशिष्ट 2.1 | अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत अतिरेक व्यय | 70 |
| परिशिष्ट 2.2 | योजनाएँ जिनमें ₹ 10 करोड़ से अधिक अतिरेक व्यय हुए | 71 |
| परिशिष्ट 2.3 | कुल प्रावधान से प्रत्येक प्रावधान में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक की बचत | 72 |
| परिशिष्ट 2.4 | वर्ष के दौरान ₹ 20 करोड़ तथा उससे अधिक के विशेष बचत का अनुदान-वार विवरण | 74 |
| परिशिष्ट 2.5 | वर्ष के दौरान योजना-वार ₹ 20 करोड़ तथा उससे अधिक के विशेष बचत का विवरण | 75 |
| परिशिष्ट 2.6 | अनुदानों के अंतर्गत वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान सतत बचत की सूची | 76 |
| परिशिष्ट 2.7 | योजनाएँ जिनमें ₹ 10 करोड़ तथा उससे अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा | 79 |
| परिशिष्ट 2.8 | प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ या उससे अधिक अनुपूरक प्रावधान, जो अनुदान के अंतर्गत अनावश्यक सिद्ध हुए | 81 |
| परिशिष्ट 2.9 | अनुदानों के अंतर्गत अतिरेक अनुपूरक प्रावधान | 82 |
| परिशिष्ट 2.10 | उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान | 83 |
| परिशिष्ट 2.11 | अनुदानों के अंतर्गत अतिरेक अनुपूरक प्रावधान | 85 |
| परिशिष्ट 2.12 | उप शीर्ष के अंतर्गत अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान | 87 |

| परिशिष्ट | विवरण | पृष्ठ |
|---------------|--|-------|
| परिशिष्ट 2.13 | अत्याधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त निधियों का पुर्नविनियोजन (जहाँ आधिक्य/बचत ₹ 10 करोड़ या अधिक हो) | 88 |
| परिशिष्ट 2.14 | वास्तविक बचत से अधिक समर्पण | 90 |
| परिशिष्ट 2.15 | बचत (₹ एक करोड़ से अधिक) धटित हुई परन्तु राशि समर्पण का हिस्सा नहीं है | 91 |
| परिशिष्ट 2.16 | समर्पण नहीं किये गये ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक का बचत | 92 |
| परिशिष्ट 2.17 | वर्ष 2016-17 के दौरान व्यय की अतिवेग | 93 |
| परिशिष्ट 3.1 | 31 मार्च 2017 की स्थिति में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र | 95 |
| परिशिष्ट 3.2 | वित्त आयोग के अनुपयोगी अनुदान का डी.डी.ओ. वार सूची की स्थिति | 96 |
| परिशिष्ट 3.3 | 31 मार्च 2017 की स्थिति में बकाया वि.आ. देयक की सूची | 97 |
| परिशिष्ट 3.4 | विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों को विलम्ब से प्रस्तुति | 97 |
| परिशिष्ट 3.5 | चोरी, गबन एवं शासकीय सम्पत्ति/सामग्री की कमियों के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण | 98 |
| परिशिष्ट 3.6 | 31 मार्च 2017 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित प्रकरणों | 99 |
| परिशिष्ट 3.7 | वर्ष 2016-17 के दौरान सूचित किये गये हानि प्रकरणों में वसूली | 101 |
| परिशिष्ट 3.8 | पूँजीगत के तहत बजट राजस्व प्रकृति के व्यय का विवरण | 102 |
| परिशिष्ट 3.9 | अनियमित स्वीकृति का विवरण | 103 |
| परिशिष्ट 3.10 | 2016-17 के दौरान लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्ति में दर्ज का विवरण | 108 |
| परिशिष्ट 3.11 | वर्ष 2016-17 में लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत अन्य व्यय के तहत आरक्षित विवरण | 109 |
| परिशिष्ट 3.12 | 31 मार्च 2017 को सरकारी खाता से बाहर निधि की पार्किंग की स्थिति | 109 |
| परिशिष्ट 3.13 | विभागवार और वार्षिक अस्थाई अग्रिम की स्थिति | 110 |
| परिशिष्ट 3.14 | राशि ₹ 79.44 करोड़ की रोकड़बही के अनुचित रखरखाव को दिखते हुए विवरण | 112 |
| परिशिष्ट 3.15 | रोकड़ पुस्तिका का अनियमित संधारण | 114 |